कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर
फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID:- nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक–2518 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 29 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग निर्माण का दाबू हड़ाप तक विस्तार हेतु 6.060 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10042/2015)

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र सं0 8बी0/यू.सी.पी./06/283/2015/एफ.सी./2229 दिनांक 19–02–2019।

महोदय,

प्रकरण में भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्र से कतिपय आपत्तियां लगाई गई थी, जिनका उत्तरालेख प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 3191/12–1(2) दिनांक 04–03–2025 से इस कार्यालय को वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से पत्रांक 2397/12–1(2) दिनांक 20–03–2025 से निम्नानुसार प्रेषित किया गया है–

क०सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन ऑख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.120 है0 बगढुगरा सिविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले प्रस्तावित 12.120 है0 ग्राम बगडुगरा, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रु0 40,86,670.00 (चालीस लाख छियासी हजार छः सौ सत्तर) मात्र का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR52021062129415992 दिनांक 21–06–2021 के द्वारा किया जा चुका है **(संलग्नक–1)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 12.120 है0 ग्राम बगडुंगरा, सिविल योयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 61/छब्बीस–33 वन (12–13)/2024–25 दिनांक 02–01–2025 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तन्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। **(संलग्नक–2)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रु0 39,81,420.00 (उन्तालीस लाख इक्यासी हजार चार सौ बीस) मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR52021062129415992 दिनांक 21–06–2021 से जमा की गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त एन.पी.वी. की धनराशि जमा किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। **(संलग्नक–3)** उक्त प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण से बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त एन.पी.वी. की धनराशि जमा करवा ली गई है। **(संलग्नक–4)**

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि जमा की गई सभी निधियां (CA Cost, NPV etc.) का पोर्टल पर online Generate किए गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाए अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रुप में मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBINR52021062129415992 दिनांक 21—06—2021 के द्वारा रु0 80,68,090.00 जाम की गई जमा की गई है। **(संलग्नक—1 के अनुसार)** तथा एन.पी.वी. की अतिरिक्त देय धनराशि रु0 21,10,153.00 UTR No. SBINR224244231061 दिनांक 31—08—2024 के द्वारा जमा की जा चुकी है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां—जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख—रेख में Strip Plantation किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रमाण—पत्र प्रेषित किया गया है। **(संलग्नक—5)**
6	State Govt may upload the project authoity DPR detailed on website portal of forest clearance so that the muck dumping plans, their structures and reclamation plan are in public domain.	DPR detailed which contain muck dumping plans, their structure and reclaimation plans are uploaded in additional information at part-I by Project authority.

अतः उपरोक्त प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित ऑख्या के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2418 / 12—1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग—3।

2— प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

3— अधिसाशी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक –2397/ 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 20.03. 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग निर्माण का दाबू हड़ाप तक विस्तार हेतु 6.060 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–10042/2015)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार की पत्र सं0– 8बी/यू0सी0पी0/06/283/2015/एफ.सी/2229/दि19.02.2019**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के संबंध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक–3191/12–1(2)दिनांक 04.03.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– तीन प्रतियों में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजीका सं0 4291
पत्रावली 12-1
दिनांक 25-3-25

कुमारी बागेश्वर
अ० कान्केर
प्र० व० सं०/नोड०
24-3-25

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– **05963-220249** फैक्स नं0:– **05963-220209**

पत्रांक 3191 /124-2 **बागेश्वर** दिनांक : 04/03/**2025**

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग निर्माण का दाबू हड़ाप तक विस्तार हेतु 6.060 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/10042/2015)**

सन्दर्भ– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/283/2015/ एफ0सी0 / 2229 दिनांक 19.02.2019।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद बागेश्वर में **जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग निर्माण का दाबू हड़ाप तक विस्तार हेतु 6.060 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क्र0 सं0	**अधिरोपित शर्त**	**सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या**
	2	3
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.120 है0 बगडुंगरा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 12.120 है0 ग्राम बगडुंगरा, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 40,86,670.00 मात्र (रू0 चालीस लाख छियासी हजार छः सौ सत्तर मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR 52021062129415992 Dtd 21.06.2021 द्वारा किया जा चुका है। **(संलग्न–01)** साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 12.120 है0 ग्राम बगडुंगरा, सिविल सोयम भूमि का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 61 / छब्बीस– 33वन(12–13) / 2024–25 दिनांक 02.01.2025 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दिया गया है।**(संलग्नकः–02)**
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5 3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBINR 52021062129415992 Dtd 21.06.2021 द्वारा रू0 39,81,420.00 मात्र (रू0 उनतालीस लाख इक्यासी हजार चार सौ बीस मात्र) जमा की जा चुकी है **(सलग्न 01 के अनुसार)**।
	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर से अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त प्रस्ताव में अतिरिक्त एन0पी0वी0 की बढोत्तरी धनराशि भी जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न)(संलग्न–3)
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA ... NPV.etc) का पोर्टल पर online generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा अधिकृत ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No- SBINR 52021062129415992 Dtd 21.06.2021 द्वारा रू0 80,68,090.00जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)। तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि UTR No- SBINR

	होगी।	224244231061 Dtd 31.08.2024 द्वारा रू0 21,10,153.00 जमा की ज चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
5	सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहॉ जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है। -4
	State Govt may upload the project DPR detailed on website portal of forest clearance so that the muck dumping plans, their structures and reclamation plan are in public domain.	DPR detailed which contain muck dumping plans, their structure and reclamation plan are uploaded in additional information a Part-I.

संलग्न- चार प्रतियों में

भवदीय,

(धुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

17/01/2025

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 133/ 2 ई0 वि0 यू0 दिनांक 17/01/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः— जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयाँ मोटर मार्ग निर्माण का दाबू हड़ाप तक विस्तार में प्रभावित होने वाली 6.060है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0/यू0सी0पी0/06/283/2015/एफ0सी0/2229 दिनांक 19.02.2019

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति मे भजने के निर्देष दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के अनुपालन आख्या

क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.120 है0 बगडुंगरा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इस वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 12.120 है0 ग्राम बगडुंगरा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 40,86,670.00 मात्र (रू0 चालीस लाख छियासी हजार छः सौ सत्तर मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBINR52021062129415992 Dtd 21.06.2021 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 12.120 है0 ग्राम बगडुंगरा का तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–71/ रा0का0 /कपकोट/2014–15 दिनांक 09.01.2015 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र स0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBINR52021062129415992 Dtd 21.06.2021 द्वारा रू0 39,81,420.00 मात्र (रू0 उनतालीस लाख इकासी हजार चार सौ बीस मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)। तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि UTR No-SBIN224244231061 dtd 31.08.2024 द्वारा रू0 21,10,153.00 जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)।

3062
दिनांक 17/1/2025
12-1-2

वन प्रेषित अग्रेतर

प्र0 (का0) स0 भा0

3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियॉ (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति कके रूप में मान्य नहीं होगी।	एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No. SBINR52021062129415992 Dtd 21.06.2021 द्वारा रू0 40,86,670.00 मात्र (रू0 चालीस लाख छियासी हजार छः सौ सत्तर मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)। तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि UTR No- SBIN224244231061 dtd 31.08.2024 द्वारा रू0 21,10,153.00 जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)।
5	सडक निर्माण के पश्चात जहॉ--जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	State Govt may upload the project authority DPR details on website portal of forest clearance so that the muck dumping plans, their structure and reclamation plan are in public domain.	DPR Details which contain muck dumping plans, their structure and reclamation plan are uploaded in additional information at Part-I.

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

भारत सरकार
[illegible] मंत्रालय
[illegible] (उत्तर मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
[illegible] – moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF [illegible]
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH [illegible] ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 283 / 2015 / एफ0सी0 / [illegible]   दिनांक 19 / 02 / 2019

[illegible] मुख्य सचिव (वन)
[illegible]
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग निर्माण का दाबू हड़ाप तक विस्तार हेतु 6.060 है0 वन भूमि [illegible] लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10042/2015)

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

सन्दर्भ : अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–204 / FP/UK/ROAD/10042/2015 दिनांक 19.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10042/2015 एवं [illegible] उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके [illegible] वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

[illegible] मुझे यह [illegible] का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर [illegible] online [illegible] जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव [illegible] Empowered Committee (REC) की दिनांक 23.07.2018 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा [illegible] अपेक्षित [illegible] सूचनाओं / दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद बागेश्वर [illegible] हरिनगरी पयां मोटर मार्ग निर्माण का दाबू हड़ाप तक विस्तार हेतु 6.060 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.120 है0 [illegible] सिविल सोयम भूमि [illegible] वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दर [illegible] आधारित) जमा की जायगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग [illegible] हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात [illegible] कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 [illegible] शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. [illegible] नहीं हुई दर के अनुसार अतिरिक्त [illegible] अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत [illegible]
4. [illegible] सभी निधियां (CA cost, NPV [illegible]) [illegible] Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक मे जमा किए जाएं। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी।
5. [illegible] के पश्चात [illegible] strip plantation [illegible] इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. may upload the project authority DPR detailed on website portal [illegible] clearance so that the muck dumping plans, their structures and reclamation plan are [illegible] public domain.

[illegible signature]
[illegible]

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार स्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नही की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो मे अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 12.120 है0 बगडुँगरा सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 372 (345 वृक्ष एवं 27 Sapling) से अधिक न हो।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

भवदीय,
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963--220249 फैक्स नं0 05963--220209

पत्रांक 2442 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 11 / 02 / 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0विभाग,
बागेश्वर।

विषय -- **जनपद बागेश्वर में हरिनगरी–पर्यों मोटर मार्ग का दाबूहड़ाप तक विस्तार हेतु 6.060 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।** (10042/2015)

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 283 / 2015 / एफ0सी0 / 2229 दिनांक 19.02.2019।

2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सडक के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक --972 / 3--5--2 दिनॉक 21.11.2017 के द्वारा निर्धारित दरों के कम में वर्ष 2020--21 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	6.060 है0	5	0.3	6,57,000.00	39,81,420.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	12.120 है0	"--"	"--"	3,37,184.00	40,86,670.00

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

Attested
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

16-02-2021

"D:\sarnany 2018-19\land transfer\demand note.docx"

1-(1)

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-06-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110042054
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/283/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(In Rs)	8068090/-

Amount In Words :Eighty Lakh Sixty-Eight Thousand and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110042054 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-06-2021

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110042054
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/283/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(In Rs)	8068090/-

Amount In Words :Eighty Lakh Sixty-Eight Thousand and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896110042054 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

भारतीय स्टेट बैंक बागेश्वर 01693
PF No 85441
21 JUN 2021
Pramod Jakhmola
प्रमोद जखमोला

BINR52021062129415992

Attested

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

2

आदेश

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरिनगरी पंय्या मोटर मार्ग निर्माण का दाबू–हड़ाप तक विस्तार हेतु 06.060है0वन भूमि को लोक निर्माण विभाग बागेश्वर को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्याः 08बी/ यू0सी0पी0/06/283/2015/एफ0सी0/2229 दिनांक 19.02.2019 से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत के कम में उपजिलाधिकारी,बागेश्वर की आख्या दिनांक 21 नवम्बर, 2024 से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरिनगरी पंय्या मोटर मार्ग निर्माण का दाबू–हड़ाप तक विस्तार/निर्माण में प्रयुक्त 06.060है0 वन भूमि की दुगुनी 12.120है0 भूमि, जो ग्राम बगडुंगरा,तहसील बागेश्वर के गैर ज0 वि0 ख0 खा0संख्या–10 श्रेणी 9(3) ख में दर्ज खसरा संख्या–554 रकवा 0.903है0, 555 रकवा 0.915है0, 1203 रकवा 0.444है0, 1227 रकवा 0.313है0, 1228 रकवा 0.110है0, 1229 रकवा 0.593है0 तथा इसी प्रकार गैर0ज0वि0श्रेणी 10(4)बंजर नाकाबिल आबाद के खाता संख्या–26 में दर्ज खेत संख्या–4 रकवा 0.339है0, खेत संख्या–162 रकवा 0.010है0, खेत संख्या–330 रकवा 01.640है0, 374 रकवा 0.294है0, 378 रकवा 0.375है0, 557 रकवा 0.370है0, 558 रकवा 0.750है0, 559 रकवा 0.705है0, 572 रकवा 0.185है0, 1185 रकवा 0.868है0, 1190 रकवा 0.688है0, 1191 रकवा 0.565है0, 1192 रकवा 0.779है0, 1193 रकवा 0.750है0, 1194 मध्ये रकवा 0.524है0 मध्ये कुल 12.120है0 भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अतः शासनादेश संख्याः 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 19.02.2019 में निहित शर्तों के अधीन उक्तानुसार चिन्हित/प्रस्तावित कुल भूमि 12.120 है0 को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

प्राप्ति 154, 38, 07.01.25

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर।

संख्याः 61/छब्बीस–33वन(12–13)/2024–25 दिनांक 02/01/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित :–

01. प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी,बागेश्वर।
03. अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
04. तहसीलदार,बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण–पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

वनभूमि सहायक | सहा0अ0 III

(15) कृपया टीका करें

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

3-11 ✓

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963-220249 फैक्स नं0 05963-220209

पत्रांक 4235 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 13/03/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग निर्माण का दाबू हड़ाप तक विस्तार हेतु 6.060 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र क्रम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के क्रम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2019 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पाँच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है! उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में
1	एन0पी0वी0	6.060 है0	5	0.3	1005210.00	60,91,573.00	39,81,420.00	21,10,153
	कुल योग					60,91,573.00	39,81,420.00	21,10,153

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

A.E.II वनभूमि फ़ी
19/3/24

EE EMI
16/3/24

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

3-(11)

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर।

PWD Uttarakhand

फोन / फैक्स नं0—05963—220006

E-mail id- pdpwdbgr@gmail.in

पत्रांक /कैश दिनांक 30/8/2024

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि एस0सी0पी0 के अन्तर्गत बागेश्वर में हरिनगरी पैंया मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार (10 किमी0) वनभूमि हे0 6.060 कार्य हेतु अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा करने हेतु कोषागार बागेश्वर से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैकर्स चैक सं0— 640373 दिनांक 02.07.2024 रू0 21,10,153.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0— 150896110042434 IFSC Code- UBIN0996335 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :— बैकर्स चैक सं0— 640373 दिनांक 02.07.2024 रू0 21,10,153.00 मात्र मूल में।

(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

पत्रांक :— 2390 /कैश, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता प्रभारी, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

30/8/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।
30/8/24

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

3-(111)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-08-2024

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110042434
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/283/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	2110153/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Ten Thousand One Hundred and Fifty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110042434 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-08-2024

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110042434
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/283/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	2110153/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Ten Thousand One Hundred and Fifty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110042434 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBIN224244231061

31/8/24

भारतीय स्टेट बैंक, बागेश्वर-01695
31 AUG 2024
Jyoti Prakash

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

3-A/0/

पत्र सं. 43

परियोजना का नामः— एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त/ अन्तरीय धनराशि भी उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

में,

अपर प्रमुख ...

4

परियोजना का नामः– एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

(28)

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर